



2026:AHC-LKO:441088-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5625 / 2026

दीपक शुक्ला और अन्य

.... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह विभाग,

लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: देश दीपक वर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. अधिवक्ता श्री निशांत श्रीवास्तव ने आज विरोधी पक्ष संख्या 4 की ओर से न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री देश दीपक वर्मा, विरोधी पक्ष संख्या 4 के अधिवक्ता श्री निशांत श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. यह याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोष पाने के लिए दाखिल की गई है:-

"(i) न्याय के हित में, पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला गोंडा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109, 115(2), 351(2), 352 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0505, दिनांक 30.05.2026 (जो संलग्नक संख्या 1 के तौर पर संलग्न है), को अभिखण्डित करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति की कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) न्याय के हित में, विरोधी पक्षों को यह निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति की कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वे इस याचिका के लंबित रहने के दौरान उक्त अपराध संख्या के मामले में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न करें।"

4. मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए, साथ ही याचिकाकर्ताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में बीएनएसएस) की धारा 482 के अंतर्गत उपलब्ध उपाय का सहारा लेने की स्वतन्त्रता भी दी जाए।

उल्लेख की गई बीएनएसएस की धारा 482 नीचे दी गई है:-

"482. गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश-

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे अजमानतीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और वह न्यायालय, यदि उचित समझे, तो निर्देश दे सकती है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(2) जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई निर्देश देता है, तो वह उस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्देश में ऐसी शर्तें शामिल कर सकती है, जो उसे उचित लगें, जिनमें शामिल हैं:

(i) एक शर्त कि व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) एक शर्त कि व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) एक शर्त कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लगाई जा सकती हैं, मानो जमानत उस धारा के अंतर्गत दी गई हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) यदि ऐसे व्यक्ति को बाद में ऐसे आरोप पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, और वह गिरफ्तारी के समय या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा; और यदि ऐसे अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध पहली बार में वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उप धारा (1) के अंतर्गत न्यायालय के निर्देश के अनुसार जमानतीय वारंट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी मामले पर लागू नहीं होगी जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी शामिल हो,"

5. तदनुसार, उपरोक्त स्वतन्त्रता के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

6. हालाँकि, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत उचित आवेदन देकर सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में जाते हैं, तो उस पर विधि के अनुसार और जल्द से जल्द विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

15 जून, 2026

अरविंद/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।